

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प _____

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री प्रदीप डोगरा व भू.अ.नि. बनेडीपा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा / नायब तहसीलदार रेलमारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भामाखेडा तहसील रेलमारा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 05 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भामाखेडा	05	उदराम प्रिया डोगरा गौरी रफ. SBDJ	उदराम प्रिया डोगरा गौरी रफ. SBT

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमारा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रेलमारा

क्रमांक:- 301
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार रेलमारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भेजवावे।
2. प्रार्थी श्री उदराम प्रिया डोगरा गौरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमारा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रेलमारा